

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या: 239 / पाँच-9-2023
लखनऊ, दिनांक 06 मार्च, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2021) की धारा 35 की उपधारा (2) व धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) तथा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 42 सन् 2021) की धारा 12 की उपधारा (2) व धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक जिला हेतु निम्नलिखित सदस्यों सहित समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति करती हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट - सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य सचिव
4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ - नामनिर्दिष्ट सदस्य
/ प्रसूति रोग विशेषज्ञ / बाल रोग
विशेषज्ञ / रेडियोलॉजिस्ट
5. संयुक्त निदेशक, अभियोजन - सदस्य

आज्ञा से,

Signed by मर्णा
उपाध्याय

Date: 06-03-2023 13:26 (मर्णा यू0)

Reason: Approved

सचिव

ई-मेल

कार्यालय महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 14 मार्च 2023

पृ0सं0:-प.क./पी.एन.डी.टी./14/2023/6547-192

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- (5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
- (6) महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अश्विनी कुमार)

संयुक्त निदेशक, पी0एन0डी0टी0.

उत्तर प्रदेश, लखनऊ